महत्वपूर्ण / बजट 2027-2028

संख्या:20/2026/बी-1-1610/दस-2026-15/2003

प्रेषक,

दीपक कुमार,
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तर प्रदेश शासन ।
2- समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 लखनऊ: दिनाँक : 01 सितम्बर, 2026

विषय: वित्तीय वर्ष 2027-2028 से मानक मदों (Object Heads) की नई व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-2028 से केन्द्र सरकार एवं सभी राज्यों में व्यय की मानक मदों की एक समान व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में जारी कार्यालय-ज्ञाप दिनाँक 11 नवम्बर, 2025 के क्रम में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज द्वारा अपने अर्द्धशासकीय पत्र दिनाँक 08 दिसम्बर, 2025 के माध्यम से प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2027-2028 से मानक मदों की नई व्यवस्था लागू किये जाने की अपेक्षा की गयी है।

2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रयागराज द्वारा की गयी अपेक्षा के क्रम में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2027-2028 से व्यय की मानक मदों की नई व्यवस्था लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3- उक्त के सम्बन्ध में, वर्तमान में प्रचलित मानक मद एवं नये मानक मदों की मैपिंग तथा नये मानक मदों के सम्बन्ध में महालेखाकार की टिप्पणी को समाहित करते हुये नये मानक मदों की सूची (हिन्दी एवं अंग्रेजी में) इस पत्र के साथ संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2027-2028 के आय-व्ययक में नये मानक मदों का उपयोग सुनिश्चित किया जाय ।

संलग्नक: यथोपरि ।

भवदीय,

दीपक कुमार
अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

https://shasanadesh.up.gov.in

संख्या:20/2026/बी-1-1610(1)/दस-2026-15/2003, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम / द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. वरिष्ठ उप महालेखाकार, राजकोष एवं वी.एल.सी., उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख सचिव, विधान परिषद्/विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
6. प्रमुख सचिव, नियोजन विभाग (राज्य योजना आयोग) अनुभाग-1, उ.प्र. शासन।
7. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. समस्त वित्त नियंत्रक / मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त विभाग के समस्त व्यय-नियंत्रण अनुभाग तथा उनसे सम्बद्ध अधिकारी।
11. सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12. विभागीय पत्रावली।

आज्ञा से,

आलोक दीक्षित
विशेष सचिव।

https://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट https://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या : 20/2026/बी–1–1610/दस–2026–15/2003, दिनाँक 01 सितम्बर, 2026 का संलग्नक

(क) राजस्व व्यय { (A) Revenue Expenditure }

उद्देश्य–श्रेणी–I (कर्मचारियों को प्रतिकर) (Object Class I - Compensation to Employees)

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
1.	01–वेतन	इसमें एफ.आर. 9(21) के अधीन यथा–परिभाषित सरकारी कर्मचारियों का वेतन, मानदेय और इंटर्न वृत्तिका शामिल होगी । इसमें राज्यों के प्रमुखों तथा अन्य उच्च गणमान्य व्यक्तियों की परिलब्धियाँ और भत्ते, सत्कार भत्ता तथा विभागीय कैंटीन के कर्मचारियों को देय वेतन और एलटीसी छुट्टी का नकद भुगतान शामिल होगा ।	01- Salaries	It will include pay of the Government employees as defined under FR 9(21) / relevant rules, honorarium to Government Servant and stipend to interns. It will also include expenditure on emoluments and allowances of Heads of States and other high dignitaries including sumptuary allowance, salary payable to the staff of departmental canteens and leave encashment on LTC.	01–वेतन	01-"वेतन" (Partial) 07-"मानदेय" (Full) 45-"अवकाश यात्रा व्यय" (Partial)	01-"वेतन" 45-"अवकाश यात्रा व्यय" मे केवल अवकाश नकदीकरण से सम्बन्धित प्रावधान शामिल करें । 07- "मानदेय" नोट:-राज्य के उद्देश्य शीर्ष 01-"वेतन" के अन्तर्गत बोनस से सम्बन्धित प्रावधान सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 05-"पुरस्कार" में शामिल करें ।
2.	02–मजदूरी	इसमें मजदूरों और कर्मचारियों की वर्तमान में आकस्मिक रूप से भुगतान की जाने वाली मजदूरी शामिल होगी ।	02- Wages	It will include wages of Labourers and of Staff at present paid out of contingencies.	02–मजदूरी	02-"मजदूरी" (Full)	02-"मजदूरी"
3.	03–मंहगाई भत्ता (DA)	इसमें वेतन और सैलरी पर मंहगाई भत्ता (DA) शामिल होगा ।	03- Dearness Allowance (DA)	It will include Dearness Allowance (DA) on pay and salaries.	03–मंहगाई भत्ता	03-"महंगाई भत्ता (डीए)" (Full) 50- "महंगाई वेतन" (Full)	03-"महंगाई भत्ता (डीए)" 50- "महंगाई वेतन"
4.	05–पुरस्कार	इसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन और भत्ते के अतिरिक्त योजना के अधीन प्राप्त होने वाले पुरस्कार शामिल होंगे । इसमें बोनस तथा हिन्दी प्रतियोगिता, आदि के नकद पुरस्कार भी शामिल होंगे ।	05- Rewards	It will include rewards under a scheme given to the Government employees in addition to their pay and allowances. It will also include payment of bonus and cash awards for Hindi Pratiyogita, etc.	42–अन्य व्यय	42-"अन्य व्यय" (Partial) 01-"वेतन" (Partial)	42-"अन्य व्यय" (शासकीय कर्मचारी को दिये जाने वाले नकद पुरस्कार से सम्बन्धित प्रावधान शामिल करें) नोट : उद्देश्य शीर्ष 01-"वेतन" में बोनस से सम्बन्धित धनराशि भी इस मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष के अन्तर्गत प्रावधानित करें ।
5.	06–चिकित्सा उपचार	इसमें सरकारी कर्मचारियों / पेंशनरों की चिकित्सा प्रतिपूर्ति / उपचार के लिये भुगतान की गयी रकम शामिल होगी ।	06- Medical Treatment	It will include amount paid towards medical reimbursements / treatment of the Government employees/ Pensioners.	49–चिकित्सा व्यय	49-"चिकित्सा व्यय" (Full)	49-"चिकित्सा व्यय"

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
6.	07–भत्ते	इसमें यथा – अनुप्रयोज्य मंहगाई भत्ता, आवास किराया भत्ता, परिवहन भत्ता, विदेश भत्ता, नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता, प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता, व्यक्तिगत वेतन, परिवार नियोजन भत्ता, विशेष प्रतिकर (पहाड़ी क्षेत्र) भत्ता, जनजातीय क्षेत्र भत्ता, कठिन क्षेत्र भत्ता, मुख्यालय भत्ता, समयोपरि भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति, राशन भत्ता, नकद में दिये जाने वाले राशन की लागत, निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, वर्दी और वस्त्र भत्ता, मनोरंजन भत्ता, परियोजना भत्ता, विशेष प्रतिकर (दूरस्थ स्थल) भत्ता, खराब जलवायु भत्ता, धुलाई भत्ता, विशेष (ड्यूटी) भत्ता, रात्रि ड्यूटी भत्ता, जोखिम भत्ता, सुंदरबन भत्ता, नकद रख–रखाव भत्ता, देखभाल भत्ता, स्पिलिट ड्यूटी भत्ता और उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कोई भत्ता जो सरकारी कर्मचारियों को उनके वेतन के अतिरिक्त देय हो ।	07- Allowances	It will include as applicable the ~~Dearness Allowance~~, House Rent Allowance, Transport Allowance, Foreign Allowance, Non Practicing Allowance, Deputation (Duty) Allowance, Personal Pay, Family Planning Allowance, Special Compensatory (Hill Areas) Allowance, Tribal Area Allowance, Hard Area Allowance, Headquarter Allowance, Overtime Allowance, Children Education Allowance, Reimbursement of Tuition Fee, Ration Allowance, Cost of Ration given in cash, Constituency Allowance, Uniform and Clothing Allowance, Entertainment Allowance, Project Allowance, Special Compensatory (Remote Locality) Allowance, Bad Climate Allowance, Washing Allowance, Special (Duty) Allowance, Night Duty Allowance, Risk Allowance, Sundarban Allowance, Cash Handling Allowance, Caretaking Allowance, Split Duty Allowance. Any other allowances, in addition to the above, which is payable to the Government employees in addition to their pay or is specific to the State.	06–अन्य भत्ते	06–"अन्य भत्ते (Full) 55–"मकान किराया भत्ता" (Full) 57–"प्रैक्टिस बंदी भत्ता" (Full) 38–"अन्तरिम सहायता" (Full) 51–"वर्दी व्यय" (Partial) 22–"आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि" (Partial)	06–"अन्य भत्ते" 55–"मकान किराया भत्ता" 57–"प्रैक्टिस बंदी भत्ता" 38–"अन्तरिम सहायता" राज्य के उद्देश्य शीर्ष 51–"वर्दी व्यय" में कर्मचारियों को दिये जाने वाले uniform / clothing Allowance शामिल करें । राज्य के उद्देश्य शीर्ष 22–"आतिथ्य व्यय/व्यय विषयक भत्ता आदि" के अन्तर्गत दिये गये मनोरंजन भत्ते को भी शामिल करें । नोट : "मंहगाई भत्ता" इसमें शामिल नहीं किया जाना है ।
7.	08–छुट्टी यात्रा रियायत (एल.टी.सी.)	इसमें एल.टी.सी. नियम की हकदारी के अधीन परिवहन के अन्य किसी साधन का किराया / हवाई / रेल / बस किराया शामिल होगा ।	08- Leave Travel Concession	It will include Air/Rail/Bus Fare/fare of any other mode of transport entitled under LTC Rule.	45–अवकाश यात्रा	45–"अवकाश यात्रा" (Full)	45–"अवकाश यात्रा" नोट : एल.टी.सी. हेतु अवकाश यात्रा नकदीकरण शामिल न करें ।
8.	09–प्रशिक्षण व्यय	इसमें प्रशिक्षण पर किया गया व्यय शामिल होगा, जैसे संदत्त फीस और प्रशिक्षण / कार्यशालाओं में भाग लेने के लिये आकस्मिक खर्च सामग्री, आदि शामिल होंगे, परन्तु इसमें घरेलू या विदेश यात्रा खर्च, पर किया गया खर्च शामिल नहीं होगा ।	09- Training Expenses	It will include expenditure on cost of training such as fees paid, contingencies, materials, etc., for participating in the training, workshops but exclude expenditure on domestic or foreign travel expenses.	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	44–"प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" (Partial)	44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 44–"प्रशिक्षण हेतु किये गये घरेलू यात्रा व्यय" को सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 11–"घरेलू यात्रा खर्च" एवं विदेश यात्रा हेतु उद्देश्य शीर्ष 12–"विदेश यात्रा खर्च" का प्रयोग करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(क) राजस्व व्यय { (A) Revenue Expenditure }							
उद्देश्य श्रेणी–II (कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा) (Object Class II - Social Security of Employees)							
9.	04–पेंशन प्रभार	इसमें सरकारी कर्मचारियों, संसद सदस्यों, स्वतंत्रता सेनानियों आदि को देय पेंशन और सभी प्रकार के उपदान के भुगतान आदि सहित सभी पेंशनिक फायदे शामिल होंगे । इसमें सेवा निधि अंशदान और अंशदायी भविष्य निधि में किया गया अंशदान, सेवानिवृत्ति या मृत्यु, सेवा समाप्ति, आदि के समय छुट्टी के बदले नकद भुगतान भी शामिल होंगे । इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिये राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) / एकीकृत पेंशन (यू. पी.एस.) के अधीन देय सरकार का योगदान भी शामिल होगा । तथापि, इसमें सामाजिक सुरक्षा व्यय जैसे वृद्धावस्था पेंशन और गैर–सरकारी व्यक्तियों को दिये जाने वाले इसी तरह के अन्य ट्रांसफर और लाभ शामिल नहीं होंगे ।	04- Pensionary Charges	It will include all pensionary benefits including payment of pensions and gratuity in all forms to the Government employees, Members of Parliament / Assembly, etc. It will also include contributions to service funds and contributory provident funds and payment of leave encashment at the time of retirement or death, termination of service, etc. It will also include Government's contribution payable under National Pension System (NPS) / Unified Pension Scheme (UPS) for Government employees. This will, however, not include social security expenditure such as old age pension and other such transfers and benefits to nongovernment persons.	33–पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ 54-पेंशन अवशेषों का भुगतान	33–"पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" (Full) 54-"पेंशन अवशेषों का भुगतान" (Full) 59-"एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज" (Full)	33–"पेंशन / आनुतोषिक / अन्य सेवानिवृत्ति हित लाभ" 54-"पेंशन अवशेषों का भुगतान" 59-"एकमुश्त नियोक्ता अंशदान / नियोक्ता एवं अभिदाता अंशदान पर ब्याज"

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(क) राजस्व व्यय { (A) Revenue Expenditure }							
उद्देश्य–श्रेणी–III (वस्तु और सेवाएँ) (Object Class III - Goods and Servicves)							
10.	10–आउटसोर्सिंग / संविदात्मक सेवाएं	इसमें आउटसोर्स की गयी सुरक्षा, ऑफिस, अटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट / डेटा एंट्री ऑपरेटर (DEO), हाउसकीपिंग और नॉन–स्टाफ कर्मियों से जुड़े सभी खर्चे शामिल होंगे, जिन्हें "प्रोफेशनल सर्विसेज़" (पेशेवर सेवायें) वाले हेड में शामिल खर्चों के अलावा, किसी खास मकसद के लिये कॉन्ट्रैक्ट पर तैनात किया गया हो ।	10- Outsourcing / Contractual Services	It will include all the expenses related to outsourced security, office attendants, office assistants / data entry operators (DEO), housekeeping and non-staff personnel, deployed for specific purpose on contract other than those included in the Object Head - "Professional Services".	58– आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	58–"आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान" (Full)	58–"आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान"
11.	11–घरेलू यात्रा खर्च	इसमें सरकारी कर्मचारियों के भारत में सरकारी दौरों और स्थानान्तरण पर यात्रा व्यय शामिल होगा । इसमें भारत में यात्रा के लिये गैर–सरकारी सदस्यों का टी.ए. / डी.ए. पर होने वाला व्यय भी शामिल होगा । इसमें सेवानिवृत्ति के समय पेंशनभोगियों को देय स्थानान्तरण टी.ए. भी शामिल होगा ।	11- Domestic Travel Expenses	It will include travel expenses on official tours and transfers of the Government employees within India. This will also include expenditure on TA/DA to Non-Official Members on account of travel in India. It will also include transfer TA payable to pensioners at the time of retirement.	04–यात्रा व्यय 05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	04–"यात्रा व्यय" (Full) 05–"स्थानान्तरण यात्रा व्यय" (Full) 44–"प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" (Partial)	04–"यात्रा व्यय" 05–"स्थानान्तरण यात्रा व्यय" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 44 में प्रशिक्षण हेतु किये गये घरेलू यात्रा व्यय इसमें शामिल करें ।
12.	12–विदेश यात्रा का खर्च	इसमें सरकारी कर्मचारियों के भारत के बाहर सरकारी दौरों और स्थानान्तरण पर होने वाला खर्च शामिल होगा । इसमें भारत के बाहर सरकारी दौरों पर गैर–सरकारी सदस्यों का टी.ए. / डी.ए. पर होने वाला व्यय भी शामिल होगा ।	12- Foreign Travel Expenses	It will include expenses on official tours and transfers of the Government employees outside India. This will also include expenditure on TA/DA to Non-Official Members going on official tour abroad.	04–यात्रा व्यय	04–"यात्रा व्यय" (Full) 44–"प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय" (Partial)	04–"यात्रा व्यय" नोट : केवल विदेश यात्रा से सम्बन्धित व्यय एवं राज्य के उद्देश्य शीर्ष 44 में प्रशिक्षण हेतु किये गये विदेश यात्रा व्यय इसमें शामिल करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
13.	13–कार्यालय व्यय	इसमें कार्यालय स्थापना के रखरखाव के लिये किये जाने वाले सभी आवर्ती और गैर आवर्ती आकस्मिक व्यय जैसे स्टेशनरी, डाक प्रभार, कूरियर प्रभार, टेलीफोन प्रभार, इन्टरनेट प्रभार, केबल कनेक्शन प्रभार, प्रशासनिक भवन / सचिवालय का बिजली प्रभार, जल प्रभार, सेवा करार, वर्दी / यूनिफार्म, गर्म और सर्द मौसम प्रभार, कीटनाशक नियंत्रण, रिफ्रेशमेन्ट, पुस्तकें और पत्रिकायें, उपहार व्यय, जिसमें विदेशी शिष्टमंडल का आतिथ्य, आदर–सत्कार एवं स्मृति चिह्न और कार्यालय द्वारा आयोजित सम्मेलन / कार्यशाला / बैठकें शामिल होंगी तथा साथ ही अध्ययन सामग्री / किट, जलपान, अध्ययन दौरे आदि से सम्बन्धित सभी व्यय शामिल होंगे । इसमें कार्यालय उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद भी शामिल होंगे जो सरकार द्वारा समय–समय पर यथाविनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोगी जीवन का उपयोग समय, दोनों में से कोई एक) से अधिक न हो । कार्यालय उपकरण तथा फर्नीचर और फिक्स्चर, जिनकी लागत सरकार द्वारा समय–समय	13- Office Expenses	It will include all recurring and non-recurring contingent expenses incurred for the maintenance of office establishment such as stationery, postage charges, courier charges, telephone charges, internet charges, cable connection charges, electricity charges for Administrative building / Secretariats, water charges, service agreements, liveries / uniforms, hot and cold weather charges, pest control, refreshment, books and periodicals, hospitality expenses including entertainment of foreign delegates, gifts and souvenirs and conferences / seminars / workshops / meetings convened by office including all related expenses on study material / kits, refreshments, study tours, etc. It will also include purchase of office equipment, furniture and fixtures not exceeding the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, as decided by the Government from time to time.	08–कार्यालय व्यय 09–विद्युत देय 10–जलकर/जलप्रभार 12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण 13–टेलीफोन पर व्यय 22–आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि	08–"कार्यालय व्यय" (Partial) 09–"विद्युत देय" (Full) 10–"जलकर/जलप्रभार" (Full) 12–"कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" (Partial) 13–"टेलीफोन पर व्यय" (Full) 22–"आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि" (Partial)	08–"कार्यालय व्यय" 09–"विद्युत देय" 10–"जलकर/जलप्रभार" 12–"कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" 13–"टेलीफोन पर व्यय" 22–"आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 08–"कार्यालय व्यय" में मशीनों / उपकरणों के अनुरक्षण से सम्बन्धित व्यय को मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 29–"मरम्मत और रख–रखाव" के अन्तर्गत प्रावधानित करें । राज्य के उद्देश्य शीर्ष 08–"कार्यालय व्यय" में जनरेटर के डीज़ल पर व्यय को मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 24–"ईंधन और स्नेहक" के अन्तर्गत प्रावधानित करें ।
		पर निर्धारित सीमा से अधिक हो, उन्हें सम्बन्धित वस्तु शीर्ष "मशीनरी और उपकरण" तथा "फर्नीचर और फिक्स्चर" के अन्तर्गत "पूंजीगत" व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए । वाहनों की खरीद, चाहे उनका उपयोग कार्यालय के लिये हो या अन्य किसी प्रयोजन के लिये, उन्हें सम्बन्धित पूंजीगत वस्तु शीर्ष "मोटर वाहन" के अन्तर्गत पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए ।		The office equipment and furniture and fixtures exceeding the threshold limit as decided by the Government from time to time should be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Head 'Machinery and Equipment' and 'Furniture and Fixtures'.			राज्य के उद्देश्य शीर्ष 22–आतिथ्य व्यय / व्यय विषयक भत्ता आदि में मनोरंजन भत्ते से सम्बन्धित व्यय को मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 07–"भत्ते" के अन्तर्गत प्रावधानित करें । व्यय, विनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोगिता अवधि, दोनों में से कोई एक) से अधिक होने पर सन्दर्भित विवरण के अनुसार सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत पूंजीगत उद्देश्य शीर्ष 52–"उपस्कर और औजार", 71–"सूचना कम्प्यूटर, दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपस्कर", 74–"फर्नीचर और फिक्सचर" के अन्तर्गत प्रावधानित करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
14.	14–भूमि और भवनों के लिये किराया, दरें और कर	इसमें भवनों (भवनों से भिन्न गैर–आवासीय या आवासीय या अन्य संरचनाओं) के किराए, नगरपालिका दरें और कर तथा किराये पर ली गयी भूमि और भवनों के लिये पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार की अन्तरणीय नहीं है, का व्यय शामिल होगा तथापि, भूमि और भवनों के लिये पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को अन्तरणीय है, को 'भूमि' ओर 'भवन एवं संरचनायें' नामक सुसंगत वस्तु शीर्षों के अन्तर्गत 'पूंजीगत व्यय" के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा ।	14- Rent, Rates and Taxes for Land and Buildings	It will include expenditure on rent for buildings (non-residential or residential or structures other than buildings), municipal rates and taxes and lease charges for rented land and buildings, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for land and buildings, the ownership of which is transferable to Government, will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads 'Land' and 'Buildings and Structures'.	17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व	17–"किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व" (Partial)	17–"किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व" नोट : भूमि के पट्टे से सम्बन्धित व्यय (यदि स्वामित्व, सरकार को स्थानान्तरित किया जाना हो) को सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 78–"भूमि" अथवा 72–"भवन और संरचनायें" के अन्तर्गत प्रावधानित करें ।
15.	15–रॉयल्टी	इसमें पेटेंट, डिजाइन, ट्रेडमार्क, प्रिन्ट, प्रकाशन, संगीत आदि की रॉयल्टी पर व्यय शामिल होगा ।	15- Royalty	It will include expenses on royalties on Patents, Designs, Trademarks, print, publishing, music etc.	17–किराया, उपशुल्क और कर स्वामिस्व		राज्य के उद्देश्य शीर्ष 17–"किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व" का प्रयोग इस मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष में उचित प्रतीत नहीं होता है, इसमें सन्दर्भित विवरण के आधार पर प्रयोग करें ।
16.	16–मुद्रण और प्रकाशन	इसमें कीमती सामान, लेखापरीक्षा और लेखा रिपोर्टों, फॉर्म, स्टेशनरी, कार्यालय कोड, मैनुअल और अन्य दस्तावेज, ई–बुक्स, ई–मैगजीन, डिजिटल छपाई, पेन ड्राइव, सीडी आदि सहित समाचार–पत्र और मैगजीन की छपाई पर होने वाला व्यय शामिल होगा, परन्तु इसमें प्रचार सम्बन्धी सामग्री की छपाई पर व्यय शामिल नहीं होगा, जिसे विज्ञापन और प्रचार के अधीन वर्गीकृत किया जायेगा ।	16- Printing and Publication	It will include expenses on printing of valuables, printing of audit and accounts reports, forms, stationery, office codes, manuals and other documents, newspaper and magazines including e-books, e-magazines digital printing, pen drive, CD, any other storage media for dissemination of digital documents, etc., but exclude expenses on printing of publicity material which shall be classified under Advertising and Publicity.	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई 18-प्रकाशन	11–"लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई" (Full) 18-"प्रकाशन" (Full)	11–"लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई" 18-"प्रकाशन" नोट : सामान्यतः कार्यालय में उपयोगार्थ लेखन सामग्री हेतु सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 13–कार्यालय व्यय में प्रावधान करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
17.	18–अन्यों के लिये किराया	इसमें उपस्कर और अन्य विभिन्न मदों जैसे कार्यालय उपस्कर, परिवहन, कम्प्यूटर और सहायक उपस्कर, संचार उपस्कर, एयर–कंडीशनिंग, हीटिंग और रेफ्रिजरेटिंग उपस्कर, सुरक्षा उपस्कर, प्रसारण और रिकार्डिंग उपस्कर, निर्माण उपस्कर, कृषि उपस्कर, बागवानी उपस्कर, चिकित्सा उपस्कर, फर्नीचर और फिक्स्चर को किराये पर लेने सम्बन्धी व्यय शामिल होंगे । इसमें उपस्कर और अन्य मदों के लिये पट्टा प्रभार भी शामिल होगा, जिसका स्वामित्व सरकार की अन्तरणीय नहीं है । तथापि, उपस्कर और अन्य मदों के लिये पट्टा प्रभार, जिसका स्वामित्व सरकार को अन्तरणीय है, को सम्बन्धित वस्तु शीर्षों के अधीन 'पूंजीगत व्यय' के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा । इसमें सम्मेलन / कार्यशाला / संगोष्ठी / कॉन्क्लेव / बैठकों आदि के लिये कार्यालय द्वारा वहन किया जाने वाला स्थान का किराया भी शामिल होगा, सिवाय उनके जो घरेलू यात्रा और विदेशी यात्रा खर्च के वस्तु शीर्षों में शामिल है ।	18- Rent for others	It will include expenses on rent for equipment and other various items like Office Equipment, Transport, Computer and Ancillary Equipment, Communication Equipment, air-conditioning, heating and refrigerating equipment, security equipment, broadcasting and recording equipment construction equipment, agricultural equipment, horticultural equipment, medical equipment, furniture and fixtures. It will also include lease charges for equipment and other items, the ownership of which is not transferable to Government. However, lease charges for equipment and other items, the ownership of which is transferable to Government will be classified as 'capital' expenditure under the relevant Object Heads. This will also include rent to be borne by the office on venue for conferences / workshops / seminars / conclaves / meetings, etc other than those included in the object heads domestic travel and foreign travel expenses.		17– "किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व" (Full)	उपकरणों एवं वर्कशॉप आदि के लिये स्थानों से सम्बन्धित किराया व्यय प्रावधानित करें यदि स्वामित्व सरकार को स्थानान्तरित न किया जाना हो ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
18.	19–डिजिटल उपकरण	इसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की खरीद / विकास पर होने वाले वे व्यय शामिल होंगे, जिन्हें राजस्व व्यय के रूप में वर्गीकृत किया जायेगा, जहाँ किसी व्यक्तिगत मद की लागत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष का उपयोगी जीवन, दोनों में से कोई एक) से अधिक न हो । तथापि, यह सीमा प्रिन्टर के टोनर और कार्टेज जैसी उपभोग्य सामग्रियों पर लागू नहीं होगी । इन्हें इस शीर्ष के अन्तर्गत राजस्व व्यय में वर्गीकृत किया जायेगा ।	19- Digital Equipment	It will include expenses to be classified as Revenue Expenditure on procurement / development of hardware and software where the cost of individual item does not exceed the threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two as decided by the Government from time to time. The threshold limit will, however, not apply to the consumables like toner and cartridge for printer. They shall be classified under revenue expenditure under this head.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय 47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	46–"कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय" (Partial)	46–"कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 47 में कम्प्यूटर अनुरक्षण हेतु मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 29–"मरम्मत और रख–रखाव" के अन्तर्गत प्रावधान करें । कम्प्यूटर स्टेशनरी से सम्बन्धित राजस्व व्यय, विनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोगिता अवधि, दोनों में से कोई एक) से अधिक न होने पर सन्दर्भित विवरण के अनुसार सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 13–"कार्यालय व्यय" में एवं पूंजीगत व्यय विनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोगिता अवधि, दोनों में से कोई एक) से अधिक होने पर मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 71–"सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपस्कर" में प्रावधानित करें ।
19.	21–सामग्री एवं आपूर्तियों	इसमें विभिन्न प्रकार की आपूर्तियों, सामग्री और भण्डार, आदि, चिकित्सा आपूर्तियाँ, कृषि आपूर्तियाँ, पशुधन आपूर्तियाँ, सफाई सामग्रियाँ, अस्पताल औषधियाँ और दवाएं, पशु औषधि, रसायन तथा उर्वरक, प्रयोगशाला आपूर्तियाँ, अतिरिक्त पुर्जे, कपड़े और तम्बू पर खर्च शामिल होंगे ।	21- Materials and Supplies	It will include expenses on various kinds of supplies, materials and stores etc. such as Medical Supplies, Educational Supplies, Agricultural Supplies, Livestock Supplies, Cleaning Materials, Hospital Drugs and Medicines, Veterinary Drugs, Chemicals and Fertilizers, Lab Supplies, Spare Parts, Clothing and Tentage.	43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	43–"सामग्री एवं सम्पूर्ति" (Partial) 39-"औषधि तथा रसायन" (Full) 40-"औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा" (Full)	43–"सामग्री एवं सम्पूर्ति" 39-"औषधि तथा रसायन" 40-"औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 43–"सामग्री एवं सम्पूर्ति" में पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि पर व्यय का प्रावधान सी.ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 23–"राशन की लागत" के अन्तर्गत करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
20.	22–हथियार और गोला बारूद	इसमें पुलिस और अन्य अर्द्ध–स्थापनाओं पर हथियार और गोला–बारूद का राजस्व व्यय शामिल होगा ।	22- Arms and Ammunition	It will include revenue expenditure on Arms and Ammunitions on Police and other Para-establishments.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
21.	23–राशन की लागत	इसमें पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, मध्याह्न भोजन, आई.सी.डी.एस., पी.एम. पोषण आदि के लिये राशन / आहार की खरीद पर व्यय शामिल होगा ।	23- Cost of Ration	It will include expenditure on procurement of ration / diet provided to police, central armed police forces, mid-day meal, ICDS, PM Poshan etc.	43–सामग्री एवं सम्पूर्ति	41–"भोजन व्यय" (Full) 43–"सामग्री एवं सम्पूर्ति" (Partial)	43–"सामग्री एवं सम्पूर्ति" 41–"भोजन व्यय" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 43–"सामग्री एवं सम्पूर्ति" के विवरण में केवल पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत वितरित की जाने वाली खाद्य सामग्री आदि पर व्यय शामिल करें ।
22.	24–ईंधन और स्नेहक	इसमें पेट्रोल, तेल, स्नेहक तथा अन्य ईंधन जैसे सी.एन.जी., डीजल आदि पर व्यय शामिल होगा ।	24- Fuels and Lubricants	It will include expenditure on Petrol, Oil, Lubricants and other fuels like CNG, Diesel etc..	15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	08–"कार्यालय व्यय" (Partial) 15–"गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" (Partial)	15–"गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" 08–"कार्यालय व्यय" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 15 के विवरण में केवल पेट्रोल आदि की खरीद के लिये प्रयोग करें एवं गाड़ियों का अनुरक्षण हेतु मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 29–"मरम्मत और रख–रखाव" का प्रयोग करें । राज्य के उद्देश्य शीर्ष 08–"कार्यालय व्यय" के विवरण में केवल जनरेटर के डीजल आदि पर व्यय शामिल करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
23.	26–विज्ञापन और प्रचार	इसमें प्रिन्ट मीडिया, टी.वी. मीडिया, आडटडोर मीडिया या इन्टरनेट या मोबाइल नेटवर्क या अन्य दृश्य–श्रव्य प्रचार या मेले और प्रदर्शनी जैसे विभिन्न मीडिया के माध्यम से विज्ञापन और प्रचार पर प्रचार सामग्री की बिक्री और मुद्रण के लिये अभिकर्ताओं को कमीशन सहित व्यय शामिल होंगे ।	26- Advertising and Publicity	It will include expenses including commission to agents for sale and printing of publicity material on advertising and publicity through various media such as print media, TV media or outdoor media or Internet or mobile network or other audio-visual publicity or fairs and exhibition.	19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	19–"विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय" (Full)	19–"विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय"
24.	27–लघु सिविल और इलेक्ट्रिक कार्य	इसमें सी.पी.डब्ल्यू.डी. / स्टेट पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा रख–रखाव किये गये कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों, अन्य भवनों के मामूली सिविल और बिजली के कार्यों की मरम्मत और रख–रखाव तथा डीजल जेनसेट, आदि के संचालन, कामकाज और रख–रखाव पर होने वाला व्यय शामिल होगा ।	27- Minor civil and electric Works	It will include expenditure on repairs and maintenance of minor civil and electrical works of office buildings, residential buildings, other buildings and expenditure on running, operation and maintenance (ROM) of diesel genset, etc., maintained by the Central PWD/State PWD.	25–लघु निर्माण कार्य 29-अनुरक्षण	25–"लघु निर्माण कार्य" (Full) 29-"अनुरक्षण" (Full)	25–"लघु निर्माण कार्य" 29-"अनुरक्षण"
25.	28–व्यावसायिक सेवाएं	इसमें सरकार को सेवाएं प्रदान करने के लिये व्यावसायिकों, परामर्शदाताओं जिसमें कम अवधि के अनुबन्ध के आधार पर सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को काम पर रखना, कलाकारों, बैंकों आदि की सेवाएं लेने पर होने वाला व्यय शामिल होगा, जिसमें विधिक सेवाएं, परामर्श फीस, लेखा–परीक्षा फीस, शिक्षण और प्रशिक्षण फीस, कलाकारों को भुगतान, प्रश्न बनाने वालों या पर्यवेक्षकों या अतिथि वक्ताओं को पारिश्रमिक, सेवाएं प्रदान करने के लिये अन्य विभागों को भुगतान करना, विभागीय परीक्षा आयोजित करने के लिये अभिकरणों को किया जाने वाला भुगतान / व्यय शामिल है ।	28- Professional Services	It will include expenses on engagement of professionals, consultants including hiring of retired Government Servants on short-term contract basis, artists, banks, etc., for providing services to the Government which include legal services, consultancy fees, audit fees, teaching and training fees, payments to artists, remuneration to question setters or invigilators or guest speakers, payments to other departments for services rendered, payment or expenses to agencies for conducting departmental examination.	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	16–"व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान" (Full)	16–"व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान"

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
26.	29–मरम्मत और रखरखाव	इसमें मशीनरी और उपकरण, कार्यालय उपकरण, अन्य कार्यात्मक उपयोग के लिये उपकरण, कार्यालय उपयोग के लिये डिजिटल उपकरण, कार्यात्मक उपयोग के लिये डिजिटल उपकरण, कार्यालय के लिये फर्नीचर और फिक्स्चर, अन्य कार्यात्मक उपयोग के लिये फर्नीचर और फिक्स्चर, वाहन (कार्यालय / कार्यात्मक उपयोग के लिये मोटर वाहन और गैर–मोटर वाहन जैसे साइकिल, रिक्शा, गाड़ियाँ, ट्रॉली और नाव आदि), अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों (इसमें छोटे सिविल ओर विद्युत कार्य जैसे लाइनें, पुल, रेलवे रोलिंग स्टॉक, सड़कें, राजमार्ग, पतन, जहाज, विमान, हेलीकॉप्टर, राडार, होवर क्रॉफ्ट, हवाई अड्डे या अन्य अवसंरचना को छोड़कर अवसंरचनात्मक परिसम्पत्तियों के निवारक, परिचालन रख–रखाव व्यय शामिल होंगे), औजार और संयंत्र, शस्त्र और गोला–बारूद आदि पर व्यय शामिल होगा, लेकिन उन्नयन, मध्यावधि पुनर्वास, रेट्रोफिटिंग और / या पुनःसंयोजन पर व्यय शामिल नहीं होगा ।	29- Repair and Maintenance	It will include expenses on repair and maintenance including all maintenance contracts of equipment such as machinery and equipment, office equipment, equipment for other functional use, digital equipment for office use, digital equipment for functional use, furniture and fixtures for office, furniture and fixtures for other functional use, vehicles (including motor vehicles and non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, carts, trolleys and boat, etc., for office or functional use), infrastructural assets (It will include expenses on preventive, operating maintenance of infrastructural assets other than minor civil and electrical works like lines, bridges, rolling stocks of railways, roads, highways, ports, ships, aircrafts, helicopters, radars, hovercrafts, airports or other infrastructures), tools and plants, arms and ammunitions, etc., but exclude expenditure on upgradation, midlife rehabilitation, retrofitting and/or reconditioning.	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 29-अनुरक्षण	15-"गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" (Partial) 29-"अनुरक्षण" (Full) 47-"कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय" (Partial)	15-"गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद" 29-"अनुरक्षण" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 15 में पेट्रोल की खरीद से सम्बन्धित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 24–"ईंधन और स्नेहक" का प्रयोग करें । राज्य के उद्देश्य शीर्ष 47–"कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय" में दिये गये विवरण में कम्प्यूटर से सम्बन्धित अनुरक्षण पर व्यय शामिल करें ।
27.	39–बैंक और अभिकरण प्रभार	इसमें बैंक सेवा प्रभार, अभिकरण प्रभार, एम. डी.आर. प्रभार, बैंकों / एन.पी.सी.आई. को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण प्रभार और मौद्रिक संव्यवहार करने वाली सुविधा फीस के लिये अन्य कोई प्रभार शामिल है ।	39- Bank and Agency charges	**It will include Bank Service charges, Agency Charges, MDR (Merchant Discount Rate) Charges, Direct Benefit transfer (DBT) charges to Banks /NPCI (National Payments Corporation of India) and any other charges for convenience fee performing monetary transactions.**	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान		सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
28.	40–अवार्ड और पुरस्कार	इसमें सरकार द्वारा प्रतिष्ठित व्यक्तियों और संगठनों को दिये जाने वाले अवार्ड और पुरस्कार शामिल होंगे ।	40- Awards and Prizes	**It will include expenses on awards and prizes given by the Government to the eminent persons and organisations.**	42–अन्य व्यय	42–"अन्य व्यय" (Partial)	42–"अन्य व्यय" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 42–"अन्य व्यय" पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों एवं संगठनों को दिये पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय का प्रावधान करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(क) राजस्व व्यय { (A) Revenue Expenditure }							
उद्देश्य श्रेणी–IV (सहायता) (Object Class IV - Aid and assistance)							
29.	31–सहायता अनुदान–सामान्य	इसमें वेतन के लिये जारी सहायता अनुदान और पूंजीगत आस्तियों के सृजन से भिन्न भुगतान शामिल होगा । इसमें कल्याण सम्बन्धी क्रियाकलापों पर व्यय भी सम्मिलित होगा ।	31- Grants-in-aid-General	It will include Grant-in-aid released for payments other than salaries and creation of capital assets. It will also include expenditure on welfare activity.	20–सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	20–"सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)" (Full)	20–"सहायता अनुदान -सामान्य (गैर वेतन)"
30.	32–अंशदान	इसमें सदस्यता से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संगठनों को दिये गये अंशदान शामिल होंगे । इसमें समग्र निधियों के लिये स्वायत्त निकायों या पी.एस.यू. या पी. एस.बी. में किये गये अन्तरण शामिल नहीं होंगे ।	32- Contribution	It will include the contributions made to International or National organisation, related to membership. This will not include transfers made to Autonomous bodies or PSUs or PSBs for Corpus Funds.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
31.	33–सब्सिडी	इसमें सरकार की विभिन्न योजनाओं के अधीन जारी सब्सिडी शामिल होगी ।	33- Subsidies	It will include subsidies released under various schemes of the Government.	27–सब्सिडी	27–"सब्सिडी" (Full)	27–"सब्सिडी"
32.	34–छात्रवृत्ति	इसमें विभिन्न संस्थानों या संगठनों या फायदाग्रहियों या व्यक्तियों को जारी की गयी छात्रवृत्ति की रकम शामिल होगी ।	34- Scholarships	It will include the amount of scholarship released to various institutions or organizations or beneficiaries or individuals.	21–छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन	21–"छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन" (Full)	21–"छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन"
33.	35–पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिये अनुदान	इसमें पूंजीगत आस्तियों के सृजन के लिये भुगतान हेतु जारी अनुदान सहायता शामिल होगी । इसमें व्यवहार्यता अन्तर निधियन (व्यवहार्यता अन्तर निधियन योजना के अधीन चलने वाली परियोजनाओं पर व्यय) भी शामिल होगा ।	35- Grants for creation of Capital Assets	It will include Grants-in-aid released for payment for creation of capital assets. It will also include Viability Gap Funding (Expenditure on the projects run under Viability Gap Funding Scheme).	35–पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	35–"पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान" (Full)	35–"पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान"
34.	36–सहायता अनुदान–वेतन	इसमें वेतन के भुगतान के लिये जारी सहायता अनुदान शामिल होगा ।	36- Grants-in-aid - Salaries	It will include Grants-in-aid released for payment of salaries.	31–सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	31–"सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)" (Full)	31–"सहायता अनुदान -सामान्य (वेतन)"
35.	37–सहायता सामग्री और उपस्कर	इसमें मंत्रालयों या विभागों या अन्य सरकारों या संगठनों को अन्तरित सहायता साम्रगी और उपस्करों का मूल्य शामिल होगा । इसमें अनुदान प्राप्त करने वाले निकायों को वस्तु के रूप में दिये गये अनुदान भी शामिल होंगे ।	37- Aid Material and Equipment	It will include value of aid material and equipment transferred to Ministries or Departments or other Governments or organisations. It will also include Grants given in kind to grantee bodies.	20–सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		वस्तु के रूप में प्राप्त अनुदान इसमें शामिल करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
36.	42—सामाजिक सुरक्षा व्यय	इसमें बजट से लोगों (सरकारी कर्मचारियों को छोड़कर) को मिलने वाले सोशल सिक्योरिटी फायदे शामिल होंगे, जैसे सोशल पेंशन (पेंशन और ग्रेच्युटी), बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, लड़कियों / महिलाओं से जुड़े फायदे, नकद भुगतान वगैरह ।	42-Social Security Expenditure	It will include social security benefits to people (excluding government servants), such as social pension (pension and gratuity), old age pensions, widow pensions, pension to freedom fighters, unemployment allowances, girl / women related benefits, cash payments, etc. from budget.		63—"सामाजिक पेंशन" (Full)	राज्य के उद्देश्य शीर्ष 63—"सामाजिक पेंशन" का प्रयोग किया जाना है एवं सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(क) राजस्व व्यय { (A) Revenue Expenditure }							
उद्देश्य श्रेणी–V (विविध राजस्व व्यय) (Object Class V - Miscellanceous Revenue Expenditure)							
37.	41–गुप्त सेवा व्यय	इसमें गुप्त सेवाओं पर व्यय शामिल होगा ।	41- Secret Service Expenditure	It will include expenses on secret services.	23–गुप्त सेवा व्यय	23–"गुप्त सेवा व्यय" (Full)	23–"गुप्त सेवा व्यय"
38.	44–विनिमय से हानि	इसमें भारतीय रुपये में विदेशी मुद्रा के विनिमय की दर में अन्तर के कारण होने वाली हानि शामिल होगी । विदेशी संसाधनों से प्राप्ति ऋण के समय विनिमय दर में अन्तर के कारण होने वाली हानि और उसके भुगतान को भी इस वस्तु शीर्ष के अधीन विकलित किया जायेगा ।	44- Loss in Exchange	It will include the loss due to difference in the rate of exchange of foreign currency in Indian rupees. The loss due to difference in the rate of exchange at the time of receipts loans from foreign resources and repayment thereof shall also be debited under this object head.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
39.	45–ब्याज भुगतान	इसमें पूंजी पर ब्याज का भुगतान और ऋणों पर छूट शामिल होगी ।	45- Interest Payments	It will include payment of interest on capital and discount on loans.	32–ब्याज / लाभाँश	32–"ब्याज / लाभाँश" (Partial)	32–"ब्याज / लाभाँश" नोट : इसमें लाभांश से सम्बन्धित प्रावधान शामिल न करें ।
40.	49–अन्य राजस्व व्यय	इसमें विवेकाधीन अनुदान से भुगतान, अन्य छूट, शुल्क और जुर्माने, सीमा शुल्क प्रतिकर, प्रतिबद्धता प्रभार, प्रीमियम, डिक्री सम्बन्धी प्रभार, परियोजनाओं के लिये बिजली शुल्क, उपहारों का अनुमानित मूल्य, अधिकारियों के आवासों के लिये खरीदे या आपूर्ति किये गये समाचार–पत्रों की प्रतिपूर्ति तथा सरकारी कर्मचारियों के लिये ब्रीफकेस / ऑफिस बैग या महिलाओं के लिये पर्स की खरीद या प्रतिपूर्ति आदि शामिल होंगे । कोई भी अन्य व्यय जिसे इन निर्दिष्ट वस्तु शीर्षों में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता, इस शीर्ष में नामें किया जायेगा । इसमें उन योजनाओं, उप–योजनाओं या संगठनों का व्यय भी शामिल होगा, जिन्हें अन्यत्र वर्गीकृत नहीं किया गया है ।	49- Other Revenue expenditure	It will include payment out of discretionary grant, other discounts, fees and fines, custom duty compensation, commitment charges, premium, decretal charges, electricity charges for Projects, notional value of gifts, reimbursement of newspapers purchased or supplied to officer's residence and purchase or reimbursement of briefcase/office bag or ladies purse to Government servants, etc. Any other expenditure which cannot be classified under any of these specified object heads will be debited to this head. It will also include expenditure in respect of schemes, sub-schemes or organisations not elsewhere classified.	42–अन्य व्यय	42–"अन्य व्यय" (Partial)	42–"अन्य व्यय" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 42–"अन्य व्यय" में पारितोषिक और पुरस्कार सम्बन्धी व्यय को सी. ए.जी. कार्यालय द्वारा प्रेषित मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 40–"अवार्ड और पुरस्कार" में प्रावधानित करें । कैश रिवार्ड से सम्बन्धित प्रावधान मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 05–"पुरस्कार" के अन्तर्गत करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(ख) पूँजीगत व्यय (आस्तियाँ) { (B) Capital Expenditure (Assets) }							
उद्देश्य श्रेणी–VI {गैर–वित्तीय आस्तियाँ (नियत और अमूर्त आस्तियाँ)} Object Class - VI { Non - Financial Assets (Fixed and Intangible Assets) }							
41.	51–मोटर यान	इसमें सड़क पर चलने वाली बस, कार, ट्रक, मोटरसाइकिल जैसे मोटर यानों की खरीद शामिल होगी, चाहे उनका उपयोग जो भी हो ।	51- Motor Vehicles	It will include procurement of motor vehicles on road like buses, cars, trucks, motorcycles, irrespective of their usage.	14–मोटर गाड़ियों का क्रय	14–"मोटर गाड़ियों का क्रय" (Full)	14–"मोटर गाड़ियों का क्रय"
42.	52–उपस्कर और औजार	इसमें मशीनरी तथा यंत्र (मोटर यान और आई.सी.टी. उपस्कर से भिन्न), बिजली और इलेक्ट्रॉनिक उपस्कर, चिकित्सा उपस्कर, सटीक और ऑप्टिकल उपस्कर, घड़ी और क्लॉक, संगीत वाद्ययंत्र और खेल के सामान, आदि के, अलावा अन्य मशीनरी और उपस्कर की खरीद, आदि शामिल होगी, जिसका मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो या जिसका तीन वर्षों का उपयोग समय हो, दोनों में से किसी एक को, इस शीर्ष के अधीन बुक करना आवश्यक होगा ।	52- Machinery and Equipment	It will include procurement of machinery and equipment (other than motor vehicles and ICT equipment), electrical and electronic equipment, medical appliances, precision and optical instruments, watches and clocks, musical instruments and sports goods etc., cost of which exceeds one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, to be booked under this head.	26–मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	26–"मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र" (Partial)	26–"मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र" नोट : यदि प्रावधान, विनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोगिता अवधि, दोनों में से कोई एक) से अधिक होने की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये सन्दर्भित विवरण के अनुसार व्यय प्रावधानित करें ।
43.	71–सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपस्कर	इसमें सूचना, कम्प्यूटर दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपस्कर, जैसे कम्प्यूटर हार्डवेयर और दूरसंचार यंत्र (कम्प्यूटर / लैपटाप, प्रोजेक्टर, आदि) तथा कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर जिसका मूल्य सीमा से अधिक हो (एक लाख रुपये या तीन वर्ष का उपयोग समय हो, दोनों में से कोई एक) तथा इलेक्ट्रोमैगनेटिक स्पेक्ट्रम, जिसका उपयोग ध्वनि, डेटा और टेलीविजन के प्रसारण में किया जाता है, की खरीद शामिल होगी ।	71- Information, Computer & Telecommunications (ICT) equipment	It will include procurement of information, computer, telecommunications (ICT) equipment such as computer hardware and telecommunications devices (computers/laptops, projectors, etc.) and computer software exceeding the threshold limit of one lakh rupees or 3 years of useful life, either of the two; electromagnetic spectrum which is used in the transmission of sound, data and television.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय	46–"कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय" (Full)	46–"कम्प्यूटर हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय" नोट : यदि हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर का क्रय दी गयी विनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोगिता अवधि, दोनों में से कोई एक) से अधिक हो तभी मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 71–"सूचना, कम्प्यूटर, दूरसंचार (आई.सी.टी.) उपस्कर" का प्रयोग किया जा सकता है, अन्यथा उद्देश्य शीर्ष 19–"डिजिटल उपकरण" का प्रयोग किया जा सकता है ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
44.	72–भवन और संरचनाएं	इसमें कार्यालय भवन, आवासीय भवन, अन्य भवन और संरचनाऐं जैसे अस्पताल, प्रयोगशालाऐं, सभागार, प्रकाश स्तम्भ, आश्रय आदि, सार्वजनिक स्मारक जैसे प्रतिमाएँ, सार्वजनिक स्थानों पर स्थापित फव्वारे और भूमि सुधार शामिल होंगे ।	72- Buildings and Structures	It will include Office Buildings, Residential Buildings, Other Buildings and Structures like hospitals, laboratories, auditorium, light houses, shelters etc., Public Monuments like statues, fountains established at public places, and land improvement.	24–वृहत निर्माण कार्य	24–"वृहत निर्माण कार्य" (Full)	24–"वृहत निर्माण कार्य"
45.	73–अवसंरचनात्मक आस्तियाँ	इसमें सड़के, पुल, सुरंगें, सिंचाई परियोजनाएं, विद्युत परियोजनाएं, खेल अवसंरचना, जल और सीवेज परियोजनाएं, रेलवे आस्तियाँ, जहाजों, पत्तनों, उपग्रहों, उपग्रह प्रक्षेपण यान, विमानपत्तनों, वायुयानों, मोटर नौकाएं, रेलवे लोकोमोटिव और रोलिंग स्टॉक, अन्य अवसंरचनात्मक परियोजाएं (केबल लाइनें, सीवेज सिस्टम, वर्षा जल संचयन, सौर प्रणाली, दूरसंचार टॉवर, पारेषण लाइनें और बिजली टॉवर आदि) जैसी अवसंरचनात्मक आस्तियों की खरीद / निर्माण / सुधार शामिल होगी ।	73- Infrastructural Assets	It will include procurement / creation / improvement of infrastructural assets such as roads, bridges, tunnels, irrigation projects, power projects, sports infrastructure, water and sewage projects, railway assets, ships, ports, satellites, satellite launch vehicles, airports, aircrafts, motor boats, railway locomotives and rolling stock, other infrastructural projects (include cable lines, sewage systems, rain water harvesting, solar systems, telecom towers, transmission lines and electricity towers, etc.).	24–वृहत निर्माण कार्य	24–"वृहत निर्माण कार्य" (Full)	24–"वृहत निर्माण कार्य"
46.	74–फर्नीचर और फिक्स्चर	इसमें कार्यालय उपयोग और कार्यात्मक उपयोग के लिये थ्रेशोल्ड सीमा से अधिक फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद पर व्यय (एक लाख रुपये से अधिक या उपयोगी जीवन के तीन वर्ष, दोनों में से कोई एक) शाामिल होगा ।	74- Furniture & Fixtures	It will include expenditure on purchase of furniture and fixtures exceeding threshold limit of one lakh rupees or three years of useful life, either of the two, for office use and functional use.	24–वृहत निर्माण कार्य	12–"कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" (Partial) 13–"कार्यालय व्यय" (Partial)	राज्य के उद्देश्य शीर्ष 12–"कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण" से mapping, फर्नीचर और फिक्स्चर की खरीद पर व्यय विनिश्चित सीमा (एक लाख रुपये या तीन वर्ष की उपयोग अवधि, दोनों में से कोई एक) से अधिक पर इस मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष में प्रावधान करें एवं यदि व्यय का प्रावधान विनिश्चित सीमा से कम होने पर मानकीकृत उद्देश्य शीर्ष 13–"कार्यालय व्यय" का प्रयोग किया जाए ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
47.	75–हथियार और गोला बारूद (पूंजीगत)	इसमें पूंजी प्रकृति के हथियारों और गोला–बारूद की खरीद शामिल होगी ।	75- Arms and Ammunitions (Capital)	It will include procurement of arms and ammunitions of capital nature.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
48.	76–विरासत आस्तियों और एन. ई.सी. का उन्नयन / खरीद	इसमें 1/– रुपये के नाममात्र मूल्य पर आस्तियाँ रजिस्टर में मान्यता प्राप्त और अभिलिखित विरासत आस्तियों का पुनर्वास, जीर्णोद्धार, रेट्रोफिटिंग और उन्नयन शामिल होगा जो 'अन्यत्र वर्गीकृत नहीं' है । इसमें ललित कला तथा सांस्कृतिक और पुरातात्विक महत्व की वस्तुयों की खरीद पर व्यय भी शामिल होगा ।	76- Upgradation / Procurement of Heritage Assets and not elsewhere classified	It will include rehabilitation, overhaul, retrofitting of Heritage Asset recognised and recorded in the Asset Register at the nominal value of Rs.1/- and upgradation 'not elsewhere classified'. It will also include expenditure on procurement of items of fine art and of cultural and archaeological importance.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
49.	77–अन्य नियत आस्तियाँ	इसमें पुस्तकालय की पुस्तकें और प्रकाशन, वृक्ष, फसलें और पौधे / रोपण जैसी अन्य नियत आस्तियों की खरीद शामिल होगी, जिनका प्राकृतिक विकास और पुनर्जनन संस्थागत यूनिटों के सीधे नियंत्रण और प्रबन्धन में होता है, गैर–मोटर यान, जैसे, साइकिल, रिक्शा, छकड़ा, ट्रॉली, नाव आदि ।	77- Other Fixed Assets	It will include procurement of other fixed assets like Library Books and Publications, trees, crops and plants / plantations, whose natural growth and regeneration is under the direct control, responsibility and management of institutional units. non-motor vehicles like bicycle, rickshaw, cart, trolleys, boat etc.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
50.	78–भूमि	इसमें भूमि जिसमें मिट्टी की ऊपरी परत सहित जमीन, कार्यालय और आवासीय भवन के लिये भूमि तथा अन्य सम्बद्ध सतह जल (जलाशय, झीलें, नदियाँ और अन्य अन्तर्देशीय जल) शामिल है, जिस पर स्वामित्व अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है ।	78- Land	It will include land consisting of the ground, land for office and residential buildings, including the soil covering and any associated surface waters (reservoirs, lakes, rivers and other inland waters over which ownership rights can be exercised).	60–भूमि क्रय	60–"भूमि क्रय" (Full)	60–"भूमि क्रय"

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
51.	79–भूमि से भिन्न गैर–उत्पादित आस्तियाँ	इसमें भूमि की सतह पर या भूमिगत खनिज और ऊर्जा भण्डार शामिल होंगे, जिनमें समुद्र के नीचे स्थित तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला, धातु के अयस्क (जैसे लौह, गैर–लौह और कीमती धातु के अयस्क), गैर–धातु खनिज भण्डार (पत्थर की खादान, मिट्टी और रेत के गड्ढे, रासायनिक और उर्वरक खनिज भण्डार और नमक, क्वाट्र्ज, जिप्सम, प्राकृतिक मणि पत्थर, डामर, बिटुमेन और पीट सहित) जल संसाधन, केवल एक बार पैदावर देने वाले और बार–बार पैदावार देने वाले पौधे, जिनके लिये स्वामित्व अधिकार दिया जाता है, लेकिन जिसके लिये प्राकृतिक विकास या पुनरूत्पादन किसी भी संस्थागत यूनिटों के प्रत्यक्ष नियंत्रण, उत्तरदायित्व और प्रबन्धन के अधीन नहीं है जैसे अछूते जंगल और मत्स्य पालन जिनका व्यावसायिक रूप से शोषण किया जा सकता है ।	79- Non-produced assets other than land	It will include mineral and energy reserves located on or below the surface of earth including deposits under the sea like oil, natural gas, coal, metallic ores including ferrous, nonferrous and precious metal ores, non-metallic mineral reserves (including stone quarries, clay and sand pits, chemical and fertilizer mineral deposits and deposits of salt, quartz, gypsum, natural gemstones, asphalts, bitumen and peat), water resources, plants that yield both once-only and repeat products over which ownership rights are enforced but for which natural growth or regeneration is not under the direct control, responsibility and management of any institutional units such as virgin forests and fisheries that are commercially exploitable.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
52.	80–अमूर्त आस्तियाँ	इसमें कॉपी राइट, पेटेंट, साख, बौद्धिक सम्पदा आदि पर किया गया व्यय शामिल होगा ।	80- Intangible Assets	It will include expenditure on copyright, patents, goodwill, intellectual property etc.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(ख) पूँजीगत व्यय (आस्तियाँ) { (B) Capital Expenditure (Assets) }							
उद्देश्य श्रेणी–VII (वित्तीय आस्तियाँ) (Object Class VII - Financial Assets)							
53.	54–निवेश	इसमें सरकार द्वारा शेयरों की खरीद और इक्विटी पर किया गया निवेश, प्रतिभूतियों में निवेश, सावधि और टर्म डिपॉजिट में निवेश तथा अन्य निवेश शामिल होंगे ।	54- Investment	It will include investments made by the Government on Purchase of Shares and Equity, Investment in Securities, Investment in Fixed and Term Deposits, and Other Investment.	30–निवेश / ऋण	30–"निवेश / ऋण" (Partial)	30–"निवेश / ऋण" नोट : राज्य के उद्देश्य शीर्ष 30–"निवेश / ऋण" से केवल निवेश से सम्बन्धित बजट प्रावधान करें ।
54.	55–ऋण और अग्रिम	इसमें सरकार द्वारा दिये गये ऋण और अग्रिम शामिल होंगे ।	55- Loans and Advances	It will include loans and advances given by the Government.	30–निवेश / ऋण	30–"निवेश / ऋण" (Partial)	केवल उधार / अग्रिम से सम्बन्धित बजट प्रावधान हेतु सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
55.	56–उधार की अदायगी	इसमें सरकार द्वारा उधारी का पुनर्भुगतान शामिल होगा ।	56- Repayment of borrowings	It will include repayment of borrowings by the Government.	30–निवेश / ऋण	30–"निवेश / ऋण" (Partial)	सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
56.	57–अभिदान	इसें पूंजीगत स्वरूप के सरकार द्वारा दिये गये अभिदान शामिल होंगे ।	57- Subscription	It will include Subscriptions made by the Government of capital nature.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।
57.	60–अन्य पूंजीगत व्यय	इसमें अन्य सभी पूंजीगत व्यय शामिल होंगे जिन्हें उपरोक्त किसी भी पूंजी वस्तु शीर्ष में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है ।	60- Other Capital expenditure	It will include all other capital expenditure which cannot be classified under any of the above capital object head.	42–अन्य व्यय	42–"अन्य व्यय" (Partial)	सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।

क्र. सं.	नया मानक मद (New Standard Object Heads)				वर्तमान मानक मद	मैप किये गये वर्तमान मानक मद	मैप किये गये मानक मदों पर महालेखाकार की टिप्पणी
(ग) लेखा समायोजन { (C) Accounting Adjustments }							
उद्देश्य श्रेणी–VIII (लेखा समायोजन) (Object Class VIII - Accounting Adjustments)							
58.	43–उचन्त	इसमें लेखा के अन्तिम शीर्ष के अधीन समायोजन के लिये पूर्ण ब्यौरे के अभाव में उचन्त शीर्षों के अधीन रखी गयी रकम शामिल होगी ।	43- Suspense	It will include the amount kept under suspense heads for want of complete details for adjustment under final head of account.	37–उचन्त	37–"उचन्त" (Full)	37–"उचन्त"
59.	61–अवक्षयण	इसमें वाणिज्यिक विभागों द्वारा आस्तियों पर लगाया गया अवक्षयण शामिल होगा ।	61- Depreciation	It will include depreciation charged on the assets by commercial departments.	34–अवमूल्यन	34–"अवमूल्यन" (Full)	34–"अवमूल्यन"
60.	62–आरक्षितियाँ	इसमें भण्डार के प्रावधान शामिल होंगे ।	62- Reserves	It will include the provisions of reserves.	48–अन्तर्लेखा संक्रमण	48–"अन्तर्लेखा संक्रमण" (Partial)	48–"अन्तर्लेखा संक्रमण" नोट : रिजर्व फण्ड से सम्बन्धित अन्तर्लेखा संक्रमण का प्रावधान करें ।
61.	63–अन्तर्लेखा अन्तरण	इसका उपयोग एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में रकम के अन्तरण के लिये किया जायेगा ।	63- Inter Account Transfers	It will be used for transfer of amount from one head to another.	48–अन्तर्लेखा संक्रमण	48–"अन्तर्लेखा संक्रमण" (Full)	48–"अन्तर्लेखा संक्रमण"
62.	64–हानियों को बट्टे खाते में डालना	इसमें अपूरणीय ऋण, व्यापार हानि को बट्टे खाते में डालना शामिल होगा ।	64- Writes Off of Losses	It will include write off of irrecoverable loans, trading losses.	36–बट्टा खाता / हानियाँ	36–"बट्टा खाता / हानियाँ" (Full)	36–"बट्टा खाता / हानियाँ"
63.	70–वसूलियाँ घटाएं	इसका उपयोग व्यय में कमी के रूप में अधिक भुगतान को समायोजित करने के लिये किया जायेगा ।	70- Deduct Recoveries	It will be operated to adjust the overpayments in reduction of expenditure.			सन्दर्भित विवरण के अनुसार प्रयोग करें ।